राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला

खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

जे. एन. स्टेडियम. काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003

*****

16(i)प्रशासन/रा.डो.प.प्र./2016-17-हिंदी दिनांक -: 15 अप्रैल, 2022

जांच बिंदु

विषय : राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में राजभाषा निति के कार्यान्वयन के लिए जांच बिंदु ('चैक पॉइंट) निर्धारित करना ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित) के अधीन बने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, खेल विभाग युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के उप-निदेशक (प्रशाशन) की यह जिम्मेदारी है कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के समुचित अनुपालन के लिए प्रभावी जांच बिंदु (चैक प्वाइंट) निर्धारित करें। तदनुसार राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में उपर्युक्त अधिनियम/नियमों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें समय-समय पर परिचालित किया जाना अपेक्षित है, तदनुसार राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, खेल विभाग युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारियों एवं अनुभागों का ध्यान निम्नलिखित जांच बिंदुओं की और आकृष्ट किया जाता है :-

1. **सामान्य आदेश (जनरल आर्डर) तथा अन्य कागजात अनिवार्य रुप से द्विभाषिक जारी करनाः**

(i) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सामान्य आदेशों (जनरल आर्डर) तथा अन्य कागजात जैसे नियमों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, समझौते/करार विज्ञप्तियों आदि पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी देखें कि वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रस्तुत किए गए हैं। यदि नहीं, तो उन्हें दोनों भाषाओं में तैयार करवाया जाए।

2. **'क' और 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र आदिः**

(i) यह जिम्मेदारी भी पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की होगी कि वे देखें कि

(क) 'क' और 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में हों।

- क्षेत्र 'क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
- क्षेत्र 'ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

(ख) हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं।

(ii) 'क' क्षेत्र की राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाए।

(iii) फाइलों पर कार्रवाई अधिकतर अनुभागों से शुरु होती है। अतः अनुभाग अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले या प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी 'क' और 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र आदि के मसौदे हिंदी में प्रस्तुत करें और राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य (75%) के अनुसार फाइलों पर टिप्पणी हिंदी में लिखें।

(iv) अनुभागों में रखे जाने वाले रजिस्ट्ररों में प्रविष्टियां भी हिंदी में की जाएं।

(v) सभी फाइल कवरों पर विषय द्विभाषी रुप में लिखे जाएं।

39

3. लिफाफों पर हिंदी में पते लिखना:

'डायरी/ डिस्पैच' विभाग यह सुनिश्चित करें कि **'क'** और **'ख'** क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिंदी में लिखे जाएं।

4. रबड़ की मोहरे, नाम पटट्, साइन बोर्ड, बैनर आदि द्विभाषिक रूप में बनाना:

संबंधित अनुभाग यह सुनिश्चित करें कि सभी रबड़ की मोहरें, नाम पट्ट, साइन बोर्ड,सीलें, पत्र शीर्ष (लैंटर हैंड) बैनर अंग्रेजी और हिंदी यानी द्विभाषिक रुप में हों।

5. कंप्यूटरों की खरीद और हिंदी साफ्टवेयर उपलब्ध कराना:

राजभाषा विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रयोगशाला के सभी कंप्यूटरों में अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी काम करने की सुविधा होनी चाहिए।

6. हिंदी पुस्तकों की खरीद:

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी वित्तीय वर्ष में फॉरन जर्नल्स और मानक संदर्भ ग्रंथों को छोड़कर कुल पुस्तकालय अनुदान का 50% हिंदी पुस्तकों जिसमें हिंदी ई-बुक, सीडी/डीवीडी, पेन ड्राइव और अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद कराने पर किया गया खर्च शामिल है, की खरीद पर किया जाए।

7. कार्यालय द्वारा विज्ञापनों एवं प्रचार प्रसार पर व्यय:

प्रयोगशाला से सम्बंधित पत्रों/ अखबारों में विज्ञापन एवं अन्य प्रकार से प्रचार – प्रसार केवल अंग्रेजी में न दिए जाये अथवा इनकी कुल राशि का न्यूनतम 50% व्यय हिंदी और शेष 50% अन्य भारतीय भाषाओँ व अंग्रेजी विज्ञापनों पर करना अनिवार्य है । संधर्भ सं. : 20012/01/2017-रा.भा. (नीति), दिनांक: 30 जून, 2017 (राष्ट्रपति जी के आदेश द्वारा प्रवृत्त) ।

8. सेवा पंजियों (सर्विस बुक) में प्रविष्टयां:

कार्यालय में कार्यरत सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा पंजियों में हिंदी में प्रविष्टियां करने की जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की और उस पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी।

9. कार्यालय की द्विभाषी वेबसाइट:

प्रशासन शाखा यह सुनिश्चित करें कि कार्यालय की द्विभाषी 'वेबसाइट' का समय-समय पर अद्यतन किया जाता रहे।

अनुरोध है कि उपर्युक्त बिंदुओं का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।

(मनीष जैन)
उप-निदेशक (प्रशाशन)

प्रतिलीपी :-

१. निजी सचिव, निदेशक
२. कार्यालय 'वेबसाइट' पर 'अपलोड' करने हेतु
३. सूचना पट्ट